प्रैस विज्ञप्ति

दिनांकः 18.05.2019

थाना स्याना पुलिस द्वारा लूट की घटना मे फरार/वांछित 25000 रुपये का पुरूस्कार घोषित अपराधी मोनी त्यागी लूटी गयी नकदी व अवैध अस्लाह मय कारतूस सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी स्याना श्री धनप्रकाश त्यागी के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 18.05.19 को प्रभारी निरीक्षक स्याना श्री विजय कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग मे मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 25000 रूपये का एक पुरूस्कार घोषित अपराधी जिसके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर करीब 03 माह पूर्व अपने ही गांव के प्रमोद के साथ लूटपाट की गयी थी, वह अभियुक्त बुगरासी चौराहा कस्बा स्याना में कही जाने की फिराक मे खडा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक स्याना मय पुलिस फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त को समय करीब 12.10 बजे लूटे गये रूपये व अवैध अस्लाह सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- मोनी त्यागी पुत्र गिरीश त्यागी निवासी ग्राम किसौला थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण-

1- लूटे गये रूपये मे से 10,000 रूपये नकद।
2- 01 तंमचा 315 मय 02 जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त मोनी त्यागी ने पूछताछ पर बताया कि उसके गांव का प्रमोद पुत्र ब्रहानन्द शर्मा जो गांव मे एसबीआई बैंक की मिनी शाखा चलाता है तथा प्रतिदिन कस्बा स्याना एसबीआई बैंक शाखा से पैसे लेकर आता है। अभियुक्त मोनी त्यागी द्वारा अपने गांव के ही साथी अमिष व अन्य तीन दोस्त रितेश, सोनू उर्फ डॉक्टर एवं देवेश के साथ मिलकर प्रमोद को लूटने की योजना बनायी। दिनांक 05.02.19 को उपरोक्त सभी अभियुक्तो द्वारा प्रमोद से उस समय लूटपाट की गयी थी जब प्रमोद एसबीआई शाखा स्याना से मिनी बैंक के लेन-देन के लिए 1,64,000 रूपये निकालकर मोटर साईकिल से अपने घर आ रहा था तो बुगरासी रोड पर अभियुक्तो ने रूपये से भरा बैग व अन्य कागजात लूट लिए थे एवं वादी का मोबाईल फोन तोडकर फरार हो गये थे जिसके संबंध मे थाना स्याना पर मुअसं-25/19 धारा 395,412,427 भादवि पंजीकृत है। इस घटना में संलिप्त अभियुक्त अमिष को थाना स्याना पुलिस द्वारा दिनांक 06.03.19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस अभियोग में अभियुक्त मोनी त्यागी की गिरफ्तारी नही हो सकी थी तथा वह लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मोनी त्यागी थाना बीबीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-22/19 धारा 363/366 भादवि मे भी वांछित चल रहा था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्याना पर मु0अ0सं0-130/19 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री विजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
2- श्री आनन्दवीर सिंह व0उ0नि0 स्याना
3- उ0नि0 संदीप कुमार थाना स्याना
4- है0का0 भानू प्रताप, का0 दीपक कुमार, का0चालक शैलेन्द्र।